उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् की 220वीं बैठक
दिनांक 03.08.2012 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 220वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री शम्भू नाथ शुक्ला की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री शम्भू नाथ शुक्ला	माननीय अध्यक्ष,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद		अध्यक्ष
2–	श्री पी.वी.जगनमोहन	आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद		सदस्य
3–	श्री अबरार अहमद	संयुक्त सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव,नगर विकास		सदस्य
4–	श्रीमती नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक,सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो निदेशालय		सदस्य
5–	श्री एन0आर0वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0		सदस्य
6–	श्री एम0एस0सिद्दीकी	वित्त नियंत्रक		सदस्य
7–	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य वास्तुविद नियोजक		सदस्य
8–	श्री एस0सी0 मिश्रा	मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	विशेष आमंत्री	सदस्य
9–	श्री सुभाष चन्द्र दीक्षित	संयुक्त सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।	विशेष आमंत्री	सदस्य
10–	श्री जे.पी.एन. द्विवेदी	उप सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।	विशेष आमंत्री	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

विषय सूची

मद सं0	विषय	निर्णय
220/1	परिषद की 219वीं बैठक दिनांक 03 दिसम्बर,2011 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गई।
220/2	परिषद की 219वीं बैठक दिनांक 03 दिसम्बर,2011 की अनुपालन आख्या।	अवलोकित किया गया।
220/3	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 220वीं बैठक हेतु उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण।	अवलोकित किया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

220/4	परिषद योजनाओं के आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम की स्थापना हेतु निर्धारित नीति में संशोधन को अंगीकृत करने के संबंध में।	शासनादेश दिनांक 21.11.2011 को अंगीकृत किया गया। इस संदर्भ में शासनादेश दिनांक 18.01.2012 को दृष्टिगत रखते हुये यदि कोई सुझाव हो तो शासन को संदर्भित किया जाये।

अभियन्त्रण अनुभाग

220/5	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में कार्यप्रभारित कर्मियों के पारिश्रमिक आदि के भुगतान हेतु फण्ड की व्यवस्था के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
220/6	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित योजना के नामकरण के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
220/7	मेट्रो रेल परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत दिलशाद गार्डेन, दिल्ली से नया बस अड्डा गाजियाबाद कारीडोर (लम्बाई 7.31 किमी0 6 स्टेशन) का विकास किये जाने के संबंध में।	वांछित धनराशि को दिये जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

220/8	परिषद द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
220/9	परिषद की वसुन्धरा योजना संख्या–3, गाजियाबाद के लिए अधिग्रहीत खसरा संख्या 368/1 ग्राम–प्रहलादगढ़ी से संबंधित सिविल मिसलेनियस रिट पिटीशन संख्या 65428/2006 हरजिन्दर सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 20.01.2012 को पारित आदेश के समादर में याची के प्रत्यावेदन दिनांक 16.02.2005 को निस्तारित करने के संबंध में।	याची के प्रत्यावेदन दि0 16.02.2005 में उल्लिखित तथ्यों तथा विभागीय टिप्पणी पर विचारोपरान्त प्रश्नगत भूमि के अर्जन मुक्त/समायोजन किये जाने का औचित्य नही पाया गया। तद्नुसार आवास आयुक्त याची को अवगत करायें।
220/10	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं को प्रदेश के नगरो की महायोजनाओं में समायोजन के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0 428/आठ–2–2012–3 एच0बी0(25)/12 दिनांक 27.02.2012 को मा0 परिषद से अंगीकृत करने के संबंध में।	शासनादेश दिनांक 27 फरवरी 2012 को यथावत अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।
220/11	परिषद की जी0टी0 रोड बाईपास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, वाराणसी के अन्तर्गत ग्राम डाफी के खसरा सं0–477 के संबंध में।	परिषद की प्रस्तावित योजना की परिधि से बाहर होने के कारण, प्रस्ताव वापस लिया जाता है।

समन्वय कोष्ठ अनुभाग

220/12	परिषद के 08 कार्मिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
220/13	परिषद के 02 कार्मिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावा पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।

प्रशासन अनुभाग

220/14	सिविल अपील सं0–3153 आफ 2012 (एस0एल0पी0(सी0) सं0–31935/ 2011) नरसिंह प्रसाद बनाम अनिल कुमार जैन व अन्य में मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2012 को पारित निर्णय के समादर में परिषद में मुख्य अभियन्ता पद का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने पर विचार हेतु चयन समिति गठित किए जाने के सम्बन्ध में।	इस संबंध में अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, संयुक्त सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग तथा संयुक्त सचिव कार्मिक (श्री सुभाष चन्द्र दीक्षित) की समिति का गठन किया गया, जो इस संबंध में अपनी संस्तुति आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेगी।
220/15	परिषद कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2011 से पुनरीक्षित दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	अनुमोदित करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
220/16	परिषद कार्मिको को प्रतिमाह रु0 700.00 के स्थान पर वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता रु0 1000.00 अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
220/17	पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील सं0 2608/2011 में दिनांक 27.04.2012	मा0 परिषद द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया।

220/18	वेतन समिति (2008) के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्यप्रभारित कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की स्वीकृति के संबंध में।	पूर्व में शासन को संदर्भित प्रकरण पर निर्णय की प्रतीक्षा की जाये।
220/19	सहायक अभियन्ताओं की पदोन्नति हेतु अनिवार्य दो वर्ष के "नान फील्ड जाब" की अवधि को शिथिल किये जाने के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
220/20	परिषद के कार्मिकों जिन्हें मोपेड भत्ता रु0500.00 एवं साइकिल भत्ता रु0 200.00 मिल रहा है, को मोपेड के स्थान पर मोटर साइकिल भत्ता रु0 700.00 एवं साइकिल भत्ता रु0 300.00 अनुमन्य किये जाने के संबंध में।	शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया।
220/21	उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली–1991 को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में अंगीकृत किये जाने के संबंध में।	अंगीकृत किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

220/22	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित/निर्मित आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों/भूखण्डों के आवंटन में विकलांगजनों के लिए आरक्षण दिये जाने के संबंध में।	अंगीकृत किया गया।
220/23	आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में नीति का निर्धारण।	अंगीकृत किया गया।
220/24	परिषद की इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ के सेक्टर–8 में स्थित नव चेतना पब्लिक स्कूल के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।

वित्त एवं लेखानुभाग

220/25	वित्तीय वर्ष 2011–12 के वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2012–13के प्रस्तावित आय–व्यक अनुमान हेतु टिप्पणी।	आय–व्ययक अनुमोदित किया गया संयुक्त सचिव सार्वजनिक उद्यम द्वारा उठाये गये बिन्दुओ के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
220/26	परिषद कार्मिकों के लिये सी0पी0एफ0 योजना के स्थान पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी योजना लागू किये जाने के संबंध में।	सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा पूर्व में की गयी आपत्ति एवं परिचर्चा में उठाये गये बिन्दुओं पर पुनः विमर्श करके निर्णय हेतु परिषद की बैठक दिनांक 23.08.2012 को आहूत करने का निर्णय लिया गया।

विधि अनुभाग

220/27	अनाधिकृत निर्माण को सीलबन्द करने के सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा–82 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया तथा उनकी टिप्पणी के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
220/28	परिषद अधिवक्तागण को देय फीस के पुर्ननिर्धारण के सम्बन्ध में।	आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्णय लिया गया।

मूल्यांकन अनुभाग

220/29	परिषद द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन निदेशिका में बहुमंजिले भवनों (चार मंजिल से अधिक) की मूल्यांकन गाइड लाईन में संशोधन का प्रस्ताव।	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एवं ''आवास बन्धु'' को परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया तथा उनकी टिप्पणी के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

भूमि अर्जन अनुभाग

220/30	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ द्वारा मेरठ नगर में विकसित की जा रही भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या–11 में समाविष्ट ग्राम कमालपुर एवं घोसीपुर की भूमि का करार नियमावली के अन्तर्गत आपसी समझौते से प्रतिकर पुर्ननिर्धारण के संबंध में।	आयुक्त, मेरठ सक्षम अधिकारी होने के कारण बोर्ड के अुनमोदन की कोई आवश्यकता नही है।
220/31	कानपुर नगर में प्रस्तावित मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–5 कानपुर के नियोजन समिति की संस्तुतियों एवं धारा–31(1) के प्रस्ताव के संबंध में।	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया तथा उनकी टिप्पणी के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
220/32	जी0टी0 रोड़ बाई पास भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना वाराणसी के नियोजन समिति की संस्तुतियों एवं धारा–31(1) के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया तथा उनकी टिप्पणी के साथ प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रशासन अनुभाग

220/33	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में।	आगामी बैठक में रखने हेतु निर्णय लिया गया। to be amended
220/34	सेवाओं के सामान्य वर्गीकरण के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
220/35	पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की व्यवस्था में संशोधन।	अनुमोदित किया गया।
220/36	चतुर्थ श्रेणी (समूह–''घ'') के कर्मचारियों के लिये तृतीय श्रेणी (समूह–''ग'') के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। अर्हता से संबंधित अध्यावधिक शासनादेश का भी पालन किया जाय।

220 / 37	शासनादेश के अनुसार सहायक लेखाधिकारी के संशोधित वेतनमान रु0 7500–12000 एवं ग्रेड वेतन रु0 4800.00 लागू करने के सम्बन्ध में।	अस्वीकृत किया गया।

सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग

220 / 38	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं में शैक्षिक संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में नीति का निर्धारण।	अनुमोदित किया गया।

समन्वय कोष्ठ अनुभाग

220 / 39	परिषद के 07 कार्मिकों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	अनुमोदित किया गया।
220 / 40	परिषद कार्मिको को शासकीय कर्मियों की भॉति भवन, वाहन तथा कम्प्यूटर क्रय ऋण अग्रिम की स्वीकृति दिए जाने हेतु निर्गत शासनादेशो को अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।	प्रश्नगत प्रकरण सार्वजनिक उद्यम विभाग को संदर्भित है। इस सम्बन्ध में संयुक्त सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग को निर्णय कराने के लिए अवगत कराया गया।

वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग

20 / 41	निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास की नीति (इन्टीग्रेटेड आवासीय योजना) के अधीन लाइसेन्स प्रणाली के अन्तर्गत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत निजी विकासकर्ता मेसर्स ओपस बिल्डटेक प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–हसनपुर लोडा, तहसील–हापुड़, जनपद–गाजियाबाद में 227.40 एकड़ भूमि का डी0पी0आर0 प्रस्ताव के संबंध में।	प्रस्तावित डी.पी.आर. का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया जाता है कि एन.सी.आर. सब रिजनल प्लान / गाजियबाद महायोजना में भू उपयोग निर्धारण (आवासीय) होने की दशा में ले–आउट प्लान की स्वीकृति एवं डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट की कार्यवाही की जायेगी।
220 / 42	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

(रुद्र प्रताप सिंह)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(पी0वी0जगनमोहन)
आवास आयुक्त

अनुमोदित

(शम्भू नाथ शुक्ला)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी